जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना कोतवाली शहर **दिनांक 28.06.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने वांरटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांरटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.06.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा वांरटी अभियुक्त संजीव उर्फ कश्मीर पुत्र रुप सिंह निवासी मौहल्ला खत्रियान कस्बा व थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

संजीव उर्फ कश्मीर पुत्र रुप सिंह निवासी मौहल्ला खत्रियान कस्बा व थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 राजीव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2. का0 1198 संदीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना कोतवाली शहर **दिनांक 28.06.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.06.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त बोबी पुत्र भीम सिंह निवासी मौ0 डुन्डापुरी कस्बा व थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0स0-580/2024 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम बोबी उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

बोबी पुत्र भीम सिंह निवासी मौ0 डुन्डापुरी कस्बा व थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

अभियुक्त बोबी का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 590/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0सं0 580/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 राजीव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 603 आदेश कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना चांदपुर **दिनांक- 28.06.2024**

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 210/24 धारा 67 आई0टी0 एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.05.2024 को वादिनी द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त शादाब पुत्र अतीक अहमद निवासी ग्राम मुबारकपुर कलां थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने वादिनी के साथ गलत काम किया तथा अश्लील वीडियो बनाई गयी। शादाब व शादाब के दोस्त शारिक पुत्र बाबू निवासी पीरउमरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी की अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर रुपयो की मांग की गई। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 210/24 धारा 376/120बी/386 भादवि व 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही में धारा 120बी/386 भादवि का लोप किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 210/24 धारा 67 आई0टी एक्ट में वांछित अभियुक्त शारिक पुत्र बाबू निवासी ग्राम पीरउमरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

उपरोक्त अभियोग में मौ0 शादाब पुत्र अतीक को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शारिक पुत्र बाबू निवासी ग्राम पीरउमरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण –

एक मोबाइल फोन।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त –

मु0अ0सं0 60/16 धारा 342/366/363/376डी भादवि व 5(क)(i)/6 पॉक्सो अधिनियम थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

मु0अ0सं0 210/24 धारा 67 आई0टी0 एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- श्री राजेश कुमार बैंसला प्रभारी निरीक्षक चांदपुर जनपद बिजनौर।

2- मुख्य आरक्षी विपिन कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

3- आरक्षी अनुज बाना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना मण्डावर **दिनाँक 28.06.2024**

थाना मण्डावर पुलिस ने मु0अ0सं0 360/23 धारा 379/411/413/120 बी भादवि के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 29.10.2023 को वादी श्री अनित कुमार पुत्र रोहताश नि0ग्राम रतनपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर ने थाना मंडावर पर तहरीर दी थी कि अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा ग्राम रतनपुर से सडक किनारे खडे 8 टायरा ट्राला चोरी कर लिया गया है। तहरीर के आधार पर थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 360/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1.साजिद 2.फसील 3.जयपाल 4.नसीम 5.रफीक 6.खालिद 7.अमजद के नाम प्रकाश मे आये थे जिनमे से स्थानीय पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तगण 1.साजिद, 2.फसील, 3.जयपाल व 4.अमजद को पूर्व मे ही घटना से संबंधित माल की बरामदगी करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मण्डावर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त रफीक पुत्र रहीसुद्दीन निवासी मौ0 कुजडोवाला कोर्ट रोड कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रफीक पुत्र रहीसुद्दीन निवासी मौ0 कुजडोवाला कोर्ट रोड कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत।

आपराधिक इतिहास रफीक उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 360/23 धारा 379/411/413/120 बी भादवि थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0सं0 310/16 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।

2.का0 1386 अंकुश सरोहा थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना देहात   दिनांक – 28.06.2024

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 133/2024 धारा 308/323/504/506 भादवि वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.06.2024 को वादी अमित यादव पुत्र शिवराज सिंह निवासी ग्राम हैजरपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर द्वारा थाना नगीना देहात पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.राजेन्द्र 2.नरेन्द्र 3.अशोक पुत्रगण शेरसिंह समस्त निवासीगण ग्राम कोटकादर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर द्वारा वादी के साथ गाली-गलौच करते हुए लाठी-डन्डों से वार किया गया, जिससे वह गम्भीर रुप से घायल हो गया । तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 133/2024 धारा 308/323/504/506 भादवि बनाम राजेन्द्र आदि 03 नफर पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 133/2024 धारा 308/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त नरेन्द्र उर्फ नीटू पुत्र शेरसिंह निवासी ग्राम कोटकादर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया एवं शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नरेन्द्र उर्फ नीटू पुत्र शेरसिंह निवासी ग्राम कोटकादर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 बबलू सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
2.का0 2020 विनय कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना धामपुर दिनांक 28.06.2024

थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 315/24 धारा 379/411 भादवि से संबंधित शातिर मोटरसाइकिल चोर को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 27.06.2024 को वादी श्री विनित कुमार पुत्र स्व0 दिनेश कुमार निवासी ग्राम व पोस्ट जैतरा थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि वादी द्वारा अभियुक्त आजम पुत्र सरफराज निवासी ग्राम बसेडा थाना धामपुर जनपद बिजनौर को वादी के घर से सामने खडी मोटरसाइकिल चोरी करते हुये पकड लिया। इस संबंध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 315/24 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 315/24 धारा 379/411 भादवि से संबंधित अभियुक्त आजम पुत्र सरफराज निवासी ग्राम बसेडा थाना धामपुर जनपद बिजनौर को चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आजम पुत्र सरफराज निवासी ग्राम बसेडा थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण

01 मोटर साईकिल प्लेटिना रंग काला नम्बर UP20BU1029

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 28.06.2024**

थाना रेहड पर तैनात उ0नि0 श्री नरेश कुमार की ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत खराब होने के कारण असामयिक मृत्यु पर बिजनौर पुलिस विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है।

अवगत कराना है कि उ0नि0 श्री नरेश कुमार वर्ष 1988 में उ0प्र0 पुलिस में आरक्षी के पद पर भर्ती हुये तथा वर्ष 2023 में उनको उ0नि0 के पद पर पदोन्नति प्राप्त हुई। वर्तमान में उ0नि0 श्री नरेश कुमार थाना रेहड की चौकी कल्लूवाला पर तैनात थे।

दिनांक 25.06.2024 को उ0नि0 श्री नरेश कुमार की ड्यूटी के दौरान अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया। उ0नि0 श्री नरेश कुमार को साथी पुलिसकर्मियों द्वारा तत्काल सी.एच.सी अफजलगढ जनपद बिजनौर ले जाया गया और उन्हे चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार दिया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हे हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। दिनांक 26.06.2024 को उनके पुत्र अंकित कुमार व अन्य परिजनों द्वारा बेहतर उपचार हेतु रूद्रपुर के कृष्णा हास्पिटल में भर्ती कराया गया। दिनांक 27.06.2024 को उ0नि0 श्री नरेश कुमार की दौराने ईलाज हृदय गति रूकने के कारण मृत्यु हो गई।

बिजनौर पुलिस उ0नि0 श्री नरेश कुमार के दुःखद निधन पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है तथा दिवंगत उ0नि0 को सद्गति व उनके परिजनों/प्रियजनों के संबल हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उ0नि0 श्री नरेश कुमार द्वारा पुलिस विभाग में दिये गये सराहनीय योगदान को हमेशा याद रखा जायेगा।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना शेरकोट **दिनांक – 28.06.2024**

थाना शेरकोट क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नागरपुर खडकसैन निवासी त्रिलोक सिंह द्वारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किये जाने के सम्बंध में।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 28.06.2024 को ट्वीटर हैण्डल @aspk4bijnor से ट्वीटर पर एक वीडियो अपलोड की गयी। उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 23.05.2024 को पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र हरफूल सिंह निवासी ग्राम रहमापुर थाना जसपुर जनपद उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) द्वारा कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग), जनपद बिजनौर से मिट्टी निकासी हेतु दिनांक 30.04.2024 से 13.06.2024 तक मिट्टी खनन अनुमति प्राप्त की गयी थी तथा प्राप्त अनुमति के आधार पर मिट्टी उठाई जा रही थी, जिसमें आशीष चौहान आदि भी हिस्सेदार थे। दिनांक 23.05.2024 को त्रिलोक सिंह पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम नागरपुर खडकसैन थाना शेरकोट जनपद बिजनौर की मिट्टी उठाने को लेकर विपक्षीगण से कहासुनी हो गई थी तथा आवेदक त्रिलोक सिंह द्वारा थाना शेरकोट पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था।

स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जांच की गयी तो ज्ञात हुआ कि त्रिलोक सिंह नें विपक्षीगण पर अवैध खनन का आरोप लगाया था, जिस पर त्रिलोक सिह की विपक्षीगण से कहासुनी हो गई थी। दिनांक 25.05.2024 को स्थानीय पुलिस द्वारा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दोनो पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की गई। त्रिलोक सिंह उपरोक्त थाना शेरकोट का प्रचलित हिस्ट्रीशीटर (हिस्ट्रीशीट सं0 – 62A) एवं आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके विरुद्ध थाना शेरकोट पर गंभीर धाराओं में 07 अभियोग पंजीकृत है। त्रिलोक सिंह पुलिस पर दबाव बनाने के उद्देश्य से अपने ट्वीटर हैण्डल @TriloksinghSon9 एवं अन्य ट्वीटकर्ताओं से ट्वीट कराता रहता है। त्रिलोक सिंह द्वारा पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप असत्य एंव निराधार है। त्रिलोक सिंह आये दिन थाने पर झूठे शिकायती प्रार्थना पत्र देने का आदि है।

हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त त्रिलोक सिंह का आपराधिक इतिहास निम्नवत है –

1.मु0अ0सं0 242/2018 धारा 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति निवारण अधि0 थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 94/2019 धारा 147/452/354/323/504/506 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
3.मु0अ0सं0 12/2020 धारा 452/323/504/506 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
4.मु0अ0सं0 170/2020 धारा 323/354/384/504/506 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
5.मु0अ0सं0 197/2020 धारा 383/506 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
6.मु0अ0सं0 27/2022 धारा 379/411 भादवि व 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति निवारण अधि0 थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
7.मु0अ0सं0 192/2022 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर **दिनांक – 28.06.2024**

थाना नूरपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लिन्डरपुर के निकट सडक दुर्घटना में दो व्यक्तियों की दुःखद मृत्यु हो जाने पर स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही वैधानिक कार्यवाही के सम्बंध में।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 28.06.2024 को वादी श्री सहदेव पुत्र भूदेव सिंह निवासी ग्राम मिठनपुर थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि वादी के पिता भूदेव सिंह पिक-अप गाडी रजि0सं0 UP22T2937 में टमाटर लेकर गाडी चालक धीरज पुत्र लाल सिंह सैनी के साथ धामपुर मण्डी जा रहे थे कि अमरोहा की तरफ से आ रहे कैंटर ट्रक HR67D4683 के चालक ने थाना नूरपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लिन्डरपुर के निकट तेजी व लापरवाही से गाडी चलाते हुए ओवरटेक किया तथा आगे निकलकर तेजी से ब्रेक लगा दिये, जिससे पिक-अप गाडी केन्टर में जा घुसी। उक्त दुर्घटना में वादी के पिता भूदेव सिंह व पुत्र मनीष की मृत्यु हो गयी तथा गाडी चालक धीरज सिंह एवं गाडी में सवार महेन्द्र पुत्र नत्थु सिंह, खेमचन्द पुत्र कमल सिंह घायल हो गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 261/2024 धारा 279/304-A/337/338/427 भादवि बनाम अज्ञात केन्टर ट्रक चालक पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा शवों को पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरान्त पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।